351

सख्याः-232/III(2)/16-17(सामान्य)/2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक 18 जनवरी, 2016**

विषय- लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में उपकरण एवं संयत्र मद से मशीनें/संयंत्र क्रय किये जाने की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1010/06 अधिप्राप्ति/15 दिनांक 03 सितम्बर, 2015 तथा अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वि0/यां0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्र दिनांक 09-12-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अप्रयोज्य मशीनों एवं संयंत्रों के प्रतिस्थानी उपकरण एवं सयंत्रों के क्रय हेतु विभाग की आवश्यकताओं के दृष्टिगत 03 नं0 पोर्टेबल स्टोन क्रशर, 03 टी0पी0एच0 क्षमता वाले 02 नं0 पोर्टेबल हॉटमिक्स प्लांट (मिक्सॉल), 02 नं0 ट्रैक्टर के क्रय हेतु **₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु इतनी ही धनराशि अवमुक्त किये जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका व मितव्यतता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा, साथ ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) उक्त मशीनों के क्रय के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित सुसंगत नियमों एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा क्रय की कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(iii) स्वीकृत धनराशि से उन्हीं मशीनों को खरीदा जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(iv) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आइडियल कैपेसिटी का आंकलन करने के उपरान्त ही मशीनों का क्रय किया जाये ताकि सभी मशीनों का ऑप्टीमम यूज हो सकें।

(v) वित्तीय वर्ष के अन्त तक यदि उक्त मशीनें क्रय नहीं की जाती है या कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह शासन को दिनांक 31.03.16 तक समर्पित कर दी जायेगी।

(vi) उक्त स्वीकृति का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXXVII/1(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय–03 राज्य मार्ग–00–आयोजनागत–052–मशीनरी तथा उपस्कर 04–उपकरण एवं संयन्त्र का कय–26–मशीनें और साज सज्जा/उपकरण और सयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3– **यह आदेश वित अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–562/XXVII(2)/2010 दिनांक 24 मई, 2010 के अनुलग्नक विवरण पत्र–VII(1) में वर्णित प्रतिनिधायनों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।**
संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
अपर सचिव।

संख्या–232/III(2)/15–17(सामान्य)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हक0) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
3– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
4– मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊं, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वि0/यां0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
9– अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव।